पत्र संख्या-चे0पो0-रिट याचिका सोनाली सरकार --2008-2009// 0809066 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
(चेक पोस्ट-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनाँक :: 22 सितम्बर, 2008

**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।**
**समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्र0/कार्य/ अपील/उच्च न्या0कार्य/सर्वोच्च न्या0कार्य)वाणिज्यकर, उ0प्र0।**
**समस्त डिप्टी कमिश्नर(चे0पो0/ प्रवर्तन/ वि0अनु0शा0/क0नि0/राज्य प्रतिनिधि/वाणिज्य कर, उ0प्र0।**
**समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, उ0प्र0।**

Key word 1-30- Transit Pass

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-चे0पो0फार्म-34-9-1218(86-87)दिनांक 12-8-86 व परिपत्र संख्या 122। दिनांक 21-8-86 से प्रवेश जांच चौकियों पर यात्रा शीट के साथ ही पूर्व प्रचलित व्यापार कर नियमावली के नियम 87(2) के अन्तर्गत पारगमन प्राधिकार पत्र के साथ नोटिस दिये जाने की व्यवस्था निर्धारित करते हुए नियम 87(3) के अन्तर्गत निर्गम जांच चौकी पर फार्म 34 प्रस्तुत न किये जाने पर फार्म 34 जारी करने के दिनांक से 30 दिन के तुरन्त बाद अर्थदण्ड की कार्यवाही शुरू किये जाने के निर्देश दिये गये थे । व्यापारियों द्वारा इस आशय की शिकायत प्राप्त होने पर कि उनकी बहतियां निर्गमन जांच चौकियों से खारिज हो गयी है किन्तु निर्गमन जांच चौकियों से बिना सत्यापन कराये ही उनके विरूद्ध अनावश्यक रूप से अर्थदण्ड / कर निर्धारण की कार्यवाही की गयी है । इस समस्या के निराकरण के लिए परिपत्र संख्या चे0पो0- फार्म -34 वि0एसो0-(89-90)/353/ वाणिज्य कर दिनांक 24-07-1989 से यह निर्देश दिए गये है कि असत्यापित पारगमन प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में अर्थदण्ड / कर निर्धारण की कार्यवाही करते समय नोटिसों की तामीली के सम्बन्ध में तत्समय प्रचलित व्यापार कर नियमावली के नियम -77 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के पश्चात ही कर निर्धारण की कार्यवाही की जाए । इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश है कि अर्थदण्ड / कर निर्धारण की नोटिस रजिस्टर्ड ए0डी0 द्वारा भेजी जाए तथा सुनवाई हेतु वाहन स्वामी को 15 दिन का अवसर देते हुए तिथि निश्चित की जाये । पंजीकृत डाक से नोटिस का स्वीकृत पत्र अभिलेख पर रखा जाए ताकि न्यायालय में तामीली के विरूद्ध उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके । इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिए गये है कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड / कर निर्धारण नोटिस का उत्तर रजिस्टर्ड डाक से भेजते हैं तथा उत्तर के साथ बहती खारिज होने के साक्ष्य के रूप में सभी प्रमाण पत्र संलग्न करते है तो रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त उत्तर पर अधिकारी द्वारा गुण / अवगुण के आधार पर निर्णय किया जाए । ऐसे मामलों में जहां माल के गन्तव्य स्थान तक पहुंचने के साक्ष्य के रूप में वाहन स्वामी खारिज बहती के अतिरिक्त अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे उस दशा में अर्थदण्ड की नोटिस का उत्तर पंजीकृत डाक से भेजने की सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती । अत: ऐसे मामलों में वाहन स्वामी की व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिये नोटिस भेजी जाए ।

2- ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवर्तन इकाईयों में कार्यरत अधिकारियों द्वारा जिनमें उनके स्तर से अर्थदण्ड / कर निर्धारण की कार्यवाही की गयी है / की जानी है, कतिपय ऐसे प्रकरणों में पूर्व प्रचलित व्यापार कर अधिनियम के नियम 77 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नोटिस तामील न करा कर अर्थदण्ड / कर निर्धारण की कार्यवाही की गयी है / की जा रही है । व्यापारियों / व्यक्तियों द्वारा ऐसे मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकायें दायर की गयी है । ऐसे ही एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या- 1423 / 2008 सर्वश्री सोनाली सरकार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य के मामले में असत्यापित बहती के प्रकरण में पारित अर्थदण्ड / कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय ने अर्थदण्ड एवं कर निर्धारण आदेश तथा रिकवरी के काफी राजस्व वाले मामलों को इस आधार पर क्वेस कर दिया कि जांच चौकी के अधिकारी द्वारा पूर्व प्रचलित व्यापार कर नियमावली के नियम -77 के अन्तर्गत नोटिस की तामीली नहीं करायी गयी है । पूर्व प्रचलित व्यापार कर नियमावली के नियम -77 के अन्तर्गत तथा वर्तमान में प्रचलित मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम -72 के अन्तर्गत नोटिस की तामीली के प्राविधान किये गये है ।

अत: समस्त जांच चौकियों एवं प्रवर्तन इकाईयों में कार्यरत अधिकारी अर्थदण्ड अथवा कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम -72 के अन्तर्गत विधिक प्रक्रिया के अनुसार नोटिस एवं आदेश की तामीली सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही कर निर्धारण / अर्थदण्ड की कार्यवाही करेंगे तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी गयी नोटिस का स्वीकृत पत्र अथवा चस्पा करायी गयी नोटिस का अभिलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर रखेंगें, जिससे किसी विवाद की स्थिति में उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके ।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल कठोरता के साथ सुनिश्चित किया जाये ।

( दीपक कुमार )
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव , संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
2. अध्यक्ष , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।
3. समस्त सदस्य , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान , गोमतीनगर , लखनऊ
5. समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर , मुख्यालय ।
6. चेक पोस्ट अनुभाग/ वैट अनुभाग / कम्प्युटर / मैनुअल / विधि / जनसम्पर्क अनुभाग को 25/ 5/ 5/5/ 10 प्रतियाँ अतिरिक्त

(वी0 पी0 श्रीवास्तव)
ज्वाइंट कमिश्नर (चे0पो0) वाणिज्य कर ,
मुख्यालय , लखनऊ